न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) बांसवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी – नरेश बुनकर, RAS

अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 36/2022
रजिस्ट्रेशन नं. :2022/43

राजस्थान राज्य जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बॉसवाडा (राज)	बनाम	अभियुक्त :– 1. गणेशलाल पुत्र श्री हीरालालजी जोशी मैसर्सः– Planetyum Fast Food Center, पुराना बस स्टैण्ड (पीछे की तरफ) बांसवाडा 2. श्रीमती जया पत्नि श्री निश्चलजी दवे मालिक मैसर्सः– Planetyum Fast Food Center, पुराना बस स्टैण्ड (पीछे की तरफ) बांसवाडा

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, निय म 2011

निर्णय

दिनांक 27.06.2022

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि श्री दिलीप सिंह यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बॉसवाडा (राज.) के द्वारा दिनांक **07–06–2022** को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक **15–03–2022** को 2.00 पी.एम. बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थो की जॉंच हेतु **Planetyum Fast Food Center, पुराना बस स्टैण्ड (पीछे की तरफ) बांसवाडा** पर पहुंचा। इस समय संस्थान पर **गणेशलाल पुत्र श्री हीरालालजी जोशी** उपस्थित थे। विक्रेता की दुकान का निरीक्षण करने पर **कचौरी रिफाइण्ड सोयाबीन तेल में बनी लगभग 60 पीस** आम जनता विक्रय हेतु रखा होना बताया। इसमें मिलावट का शक होने पर विक्रेता को गवाहान की उपस्थिति में फार्म नं.5ए पर पर सूचना देते हुए **40 पीस कचौरी रिफाइण्ड सोयाबीन तेल में बनी** वास्ते नमुना जॉच हेतु खरीदी तथा इनकी कीमत 400 रु. विक्रेता को चुका कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक की। नमुना जॉच हेतु खरीदशुदा **कचौरी रिफाइण्ड सोयाबीन तेल में बनी** को चार साफ [illegible] मुंह के जार में दस–दस पीस लेकर प्रत्येक जार में 40–40 बुंद फार्मलीन की [illegible] के ढक्कन एयर टाईड बन्द किया एवं चारो नमुना भागो को नियमानुसार सील बन्द किया। उक्त नमुना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति आउटकवर में सील बन्द कर सील मोहर कर जांच हेतु अभिहित

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2022.10.06 10:06:07 IST
Reason: SelfAttested

अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा को जमा करवाया।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2022/143–144 दिनांक 18–04–2022 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 374 दिनांक 30–03–2022 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय की गई **कचौरी रिफाइण्ड सोयाबीन तेल में बनी** का नमुना अमानक Sub-standard food under section 3(1)(ZX) of food safety and standards Act 2006 पाया गया। विक्रेता द्वारा **कचौरी रिफाइण्ड सोयाबीन तेल में बनी** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 09–06–2022 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपीगणो को जरिये समन तलब किया गया।

दिनांक 27.06.2022 को अभियुक्तगणो ने न्यायालय में उपस्थित होकर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अपना अपराध स्वीकार कर निवेदन किया कि न्यायालय नरम रुख अपनाकर प्रकरण निस्तारित फरमावे। प्रकरण में आरोपी द्वारा अपराध स्वीकार कर लेने के कारण अन्य किसी साक्ष्य की अब आवश्यकता नहीं रहती है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अभियुक्त को सुना। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का भी गहनता पूर्वक अवलोकन किया एवं उस पर मनन किया। अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2022/143–144 दिनांक 18–04–2022 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 374 दिनांक 30–03–2022 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय की गई **कचौरी रिफाइण्ड सोयाबीन तेल में बनी** का नमुना अमानक Sub-standard food under section 3(1)(ZX) of food safety and standards Act 2006 पाया गया है। प्रक[illegible] अपराध स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में अब किसी अन्य [illegible] नहीं होती हैं। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया [illegible] समझते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2022.10.06 10:06:07 IST
Reason: SelfAttested

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(ZX) के तहत सबस्टैण्डर्ड **कचौरी रिफाइण्ड सोयाबीन तेल में बनी** का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं

मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन होना पाया गया। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम–2006 व नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। आरोपी को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर **गणेशलाल पुत्र श्री हीरालालजी जोशी मैसर्सः– Planetyum Fast Food Center, पुराना बस स्टैण्ड (पीछे की तरफ) बांसवाडा को रूपये 10,000/– (अक्षरे रू दस हजार मात्र), श्रीमती जया पत्नि श्री निश्चलजी दवे मालिक मैसर्सः– Planetyum Fast Food Center, पुराना बस स्टैण्ड (पीछे की तरफ) बांसवाडा को रूपये 10,000/– (अक्षरे रू दस हजार मात्र)** के अर्थ दण्ड से दण्डित किया जाता है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800–अन्य प्राप्तियां, (03)–खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा–पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बाँसवाडा आरोपी को जुर्माना राशि का चालान जमा कराने पाबंद करे तथा जमा राशि का चालान प्राप्त कर प्रति इस न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 27–06–2022 खुले न्यायालय सुनाया गया।

(नरेश बुनकर)
न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति० जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2022.10.06 10:06:07 IST
Reason: SelfAttested